आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Handlooms and Textiles Department

# Co-operative Handloom Weavers Thrift Fund Scheme

आंध्र प्रदेश में प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों के बुनकर सदस्य अपनी मजदूरी का एक हिस्सा बचत कोष में जमा करते हैं और राज्य सरकार उतना ही हिस्सा अपनी ओर से जोड़ती है।

## क्या मिल सकता है

बुनकर अपनी कमाई गई मजदूरी का 8% थ्रिफ्ट फंड खाते में जमा करता है और राज्य सरकार बराबर का हिस्सा जोड़ती है, जो विभाग के पेज के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से बढ़ाकर 16% किया गया है। यह बचत कम से कम 5 से 6 साल के लिए एफडी या बचत प्रमाणपत्र में रखी जाती है।

## किसके लिए है

आंध्र प्रदेश के हथकरघा बुनकर, जो प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के सदस्य हैं और उनके माध्यम से मजदूरी कमाते हैं।

## मुख्य शर्तें

- व्यक्ति प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समिति का बुनकर सदस्य होना चाहिए।
- बुनकर को कमाई गई मजदूरी का 8% थ्रिफ्ट फंड खाते में जमा करना होगा।
- बुनकर ने साल में कुल कम से कम 4,000 रुपये की मजदूरी कमाई हो, यह सीमा 2015 के नियम संशोधन से तय हुई है।

## स्थिति

चालू

**आधिकारिक स्रोत:** https://handlooms.ap.gov.in/documents/Thrift_Fund_G.O&Guidelines.pdf
**आधिकारिक PDF:** https://handlooms.ap.gov.in/documents/Thrift_Fund_G.O&Guidelines.pdf
**Labh Lo पेज:** https://labhlo.in/hi/schemes/andhra-pradesh/ap-handloom-weavers-thrift-fund/

**Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।**
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।